उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

मुख्यालय: राज्य नियोजन संस्थान, नवीन भवन, कालाकांकर हाउस, पुराना हैदराबाद, लखनऊ- 226007, दूरभाष: +91 9151602229, +91 9151642229	**क्षेत्रीय कार्यालय:** एच-169, गामा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर- 201308, दूरभाष: +91 9151672229, +91 9151682229, 0120-2326111

Website: www.up-rera.in, E-mail: contactuprera@up-rera.in, Twitter: https://x.com/UPRERAofficial?t=4uwoQBDlV3UWtl-tGBhPVA&s=08
Facebook: https://www.facebook.com/upreraofficial?mibextid=ZbWKwL, Youtube: https://youtube.com/@UPRERAOfficial?si=qaJaOVbA4fj-Oyao

प्रेस नोट- मई 12, 2024

उ.प्र. रेरा अब नई एस.ओ.पी के अनुसार प्रमाणित प्रतियां जारी करेगा

- एस.ओ.पी के अनुसार शिकायतों तथा आदेशों से सम्बन्धित 20 से ज्यादा प्रकार के अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की जा सकेगी।
- प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदक का सत्यापन आवश्यक और उसके उपरान्त ही ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा।

लखनऊ/ गौतमबुद्ध नगर: उ.प्र. रेरा ने शिकायतों और पारित आदेशों से सम्बन्धित अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपि जारी करने हेतु नई एस.ओ.पी (मानक संचालन प्रक्रिया) जारी की है। आवेदकों की सुविधा का ध्यान रखते हुए सम्पूर्ण प्रक्रिया को पूर्णतः ऑनलाइन रखा गया है। एस.ओ.पी के अनुसार ओटीपी के माध्यम से आवेदक की पुष्टि के उपरान्त ही उन्हें प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु अभिलेखों का विकल्प प्राप्त हो सकेगा। इन विकल्पों में से आवेदक एक या एक से अधिक अभिलेखों के लिए आवेदन कर सकेंगे। आवेदनों की अभिलेखगार द्वारा जाँच की जाएगी और आवेदन नियमानुसार पाए जाने पर ही अग्रिम कार्यवाही होगी। आवेदन को किसी भी समय निरस्त करने के अधिकार प्राधिकरण को होगा जिसकी सुचना आवेदक को प्रेषित की जाएगी।

प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने के इच्छुक आवेदक अपना नाम, ई-मेल आईडी तथा मोबाईल नम्बर भरकर फॉर्म भरेंगे। मोबाईल नम्बर पर प्राप्त ओटीपी की पुष्टि के उपरान्त ही आवेदक ऑनलाइन प्रक्रिया में आगे बढ़ सकेंगे। आवेदकों द्वारा दर्ज शिकायतों से सम्बन्धित शिकायत पत्र, पक्षकारों को निर्गत नोटिस तथा उनके प्रार्थना पत्र, पोर्टल पर आपत्ति तथा प्रति-उत्तर, ऑर्डरशीट, तकनीकी सेल की निरीक्षण रिपोर्ट, अंतरिम तथा अंतिम आदेश, आदेश क्रियान्वयन अनुरोध के आवेदन, आदेश अनुपालन करने संबंधी नोटिस, कैल्कूलेशन शीट, वसूली प्रमाण पत्र तथा वसूली प्रमाण पत्र में संशोधन संबंधी पत्र की प्रमाणित प्रतिलिप जैसे 15 प्रकार के अभिलेख प्राप्त किए जा सकते है। इसी प्रकार पीठ से पारित आदेशों से सम्बन्धित शिकायत तथा नोटिस की प्रति, नोटिस के उत्तर की प्रति, जाँच रिपोर्ट, प्राधिकरण के अंतरिम तथा अंतिम आदेश, आदेश अनुपालन सम्बन्धी पत्र तथा वसूली प्रमाण पत्र जैसे 7 प्रकार के अभिलेख जारी किए जा सकते है।

प्राधिकरण द्वारा 5 पेज तक की प्रतिलिपि के लिए रुपये 50.00/- शुल्क के रूप में निर्धारित किया गया है। 5 पेज से अधिक की प्रतिलिपि हेतु आवेदक को प्रति पेज रुपये 05.00/- शुल्क का भुगतान करना होगा। प्रतिलिप डाक द्वारा प्राप्त करने हेतु आवेदक को रुपये 100.00/- का अतिरिक्त भुगतान डाक व्यय के रूप में चुकाना होगा।